पटवारी हल्का राजपुर बड़ा V/S धर्मी

प्रकरण सं. 83/2022 प्रवेश तिथी 5-10-22 निर्णय तिथी 27-6-23

27-6-23 आज पत्रावली पेश हुई। रिपोर्ट पटवारी हल्का अनुसार संक्षेप मे तथ्य निम्न प्रकार से हैं कि गैर सायल धर्मी पुत्र गोगा जाति बंजारा निवासी राजपुर बड़ा ने ग्राम — राजपुर बड़ा के आ.खे.नं. 244/2303 रकबा 14.47 है भूमि — चारागाह पर 0.01 है. भूमि पर पक्का मकान व 0.01 है भूमि पर तिरपाल से तम्बू बनाकर अतिक्रमण कर लिया है गैर — सायल के विरुद्ध प्रकरण भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज रजिस्टर कर गैर सायल को नोटिस क्रमांक 1957 दिनांक 5-10-22 जारी कर तलब किया गया गैर सायल ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि, उक्त अतिक्रमण के सम्बन्ध में माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय राजगढ़ के यहा से स्थगन आदेश दिनांक 12/12/22 तक है। नकल आदेश की पेश की गई।

उक्त प्रकरण से सम्बन्धीत एक पत्रावली पूर्व से दर्ज मिसल नं 113/2020 दर्ज होकर जेर कार है। शामिल पत्रावली की गई, जिसमे माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय राजगढ़ के यहा से स्थगन आदेश है शामिल पत्रावली की गई। गैर सायल को उक्त अतिक्रमण के सम्बन्ध में पुनः नोटिस जारी कर तलब किया गया। गैर सायल की ओर से जवाब तलब कर किया गया। एवं निवेदन किया गया कि प्रार्थी बंजारा जाति से है एवं गरिब व्यक्ति है। प्रार्थी के पास उक्त आवास व भूमि उक्त के अलावा और कोई भूमि नही है। कार्यवाही ड्रोप करने की गुजारिश की गई। लेकिन माननीय सिविल न्यायाधीश महोदय राजगढ़ के यहां से वर्तमान मे स्थगन है या नही बाबत कोई आदेश पेश नही की गई। स्पष्ट है कि अब किसी भी सक्षम न्यायालय का स्थगन आदेश नही है। अतिक्रमी काबिल — बेदखली है।

तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

लगातार —

अतः गैर सायल को आराजी खसरा नम्बर 244/2303 रकबा 0.02 है भूमि-चारागाह से बेदखली के आदेश दिये जाते है। एवं भू. अ. निरीक्षक व पटवारी हल्का राजपुर बड़ा को बेदखली एवं पैनल्टी वसूली हेतु लिखा जावे, तहसील राजस्व लेखाकार को राजस्व लेखे में माँग कायमी हेतु लिखा जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 27-6-2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

तहसीलदार
राजगढ़ जिला अलवर

रा. ले. स. 4 वर्ष 2023-24
के पृष्ठ संख्या 37 पर न्या. पै. 50/-
राशि कायम किये गये।

त. रा. लेखाकार